


तारीख हुकम

12.06.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में  
अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम  
से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाम  
दिवाई गई। कोई उपस्थित नहीं।  
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी।  
वादी एवं वादीगण अपने वादों को लेकर  
गंभीर नहीं हैं।  
लिहाजा वादी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र  
अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज  
किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतार  
हो व नंबर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर